व्यावसायिक योजना

आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि - कैंचूआ खाद
द्वारा

ऐंजल---- **स्वयं सहायता समूह छाजपुर घाटी**

एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	ऐंजल
वीएफडीएस नाम	::	वीएफडीएस **छाजपुर घाटी**
क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	::	सरस्वती-नगर
मण्डलीय प्रबन्धन इकाई	::	रोहड़ू

के तहत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना
(**जेआईसीए असिस्टेड**)

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	स्वयं सहायता समूह / सामान्य हित समूह का विवरण	4
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गांव का भौगोलिक विवरण	5
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	6
7	उत्पादन योजना	7
8	बिक्री और विपणन	7
9	ताकत, कमजोरियो, अवसरों, खतरों का विश्लेषण	8
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	8
11	अर्थशास्त्र का विवरण	9-11
12	आर्थिक विश्लेषण का अनुमान	12
13	फंड की आवश्यकता	12
14	फंड के स्रोत	12
15	बैंक ऋण चुकौती	13
16	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	13
17	निगरानी विधि	13
18	समूह सदस्य तस्वीर	14

1. पृष्ठभूमि

सरल उत्पादन तकनीकों, पारिस्थितिक, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग देश में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है। विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, उद्यमियों द्वारा सरकार के समर्थन के तहत, वर्मीकम्पोस्टिंग इकाइयों की एक महत्वपूर्ण संख्या स्थापित की गई है।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

वर्मी कम्पोस्टिंग, केंचुओं का उपयोग करके खाद बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वे ज्यादातर मिट्टी में रहते हैं, बायोमास पर भोजन करते हैं और इसे पचे हुए रूप में उत्सर्जित करते हैं। वर्मीकम्पोस्ट एक प्रकार की जैविक खाद है। यह केंचुओं की कई प्रजातियों का उपयोग करके जैविक कचरे को खाद बनाकर प्राप्त किया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। केंचुओं को पालने/उपयोग करके कम्पोस्ट का उत्पादन वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। यह छोटे और बड़े पैमाने के किसानों दोनों के लिए खाद के उत्पादन के लिए सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि में स्थापित की जा सकती है जो किसी भी आर्थिक उपयोग के अधीन नहीं है बल्कि छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त है। स्थल भी जल संसाधन के निकट होना चाहिए

वर्मीकम्पोस्टिंग, जिसे सही मायने में "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता खेती की लागत को कम करती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मीकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। दूसरे, बड़ी आबादी अब प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की ओर बढ़ रही है।

2. स्वयं सहायता समूह/सीआईजी का विवरण

स्वयं सहायता समूह / सामान्य हित समूह का नाम	::	एंजेल एसएचजी छाजपुर घाटी
ग्राम वन विकास समिति	::	वीएफडीएस छाजपुर घाटी
रैंज	::	सरस्वती नगर
वन मंडल	::	रोहड़ू
गाँव	::	सभार- छाजपुर
खंड	::	जुब्बल
जिला	::	शिमला
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10
गठन की तिथि	::	मई , 2021
बैंक खाता संख्या	::	13810110031384
बैंक विवरण	::	यूको बैंक अन्टी
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	100/-
कुल बचत		2900/-
कुल अंतर-ऋण		-----
नकद ऋण सीमा		-----
चुकौती स्थिति		-----

3. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	श्रेणी	आय स्रोत	पता
1	भरत सिंह	स्वर्गीय श्री जगत राम	37	सामान्य	कृषि	छाजपुर
2	कलम सिंह	सुख राम	35	अनु0 जा0	कृषि	सभार
3	संजीव	बशेर चन्द	24	अनु0 जा0	कृषि	छाजपुर
4	चंदर मोहन	रति राम	36	अनु0 जा0	कृषि	सभार
5	रमेश	ध्यान सिंह	37	अनु0 जा0	कृषि	छाजपुर
6	राज कुमार	स्वर्गीय श्री पदम देव	42	सामान्य	कृषि	सभार
7	दासी देवी	स्वर्गीय श्री रति राम	56	अनु0 जा0	कृषि	सभार
8	रूप दास	स्वर्गीय श्री चेत राम	59	अनु0 जा0	कृषि	सभार
9	प्रत्युष	गोवर्धन	19	अनु0 जा0	कृषि	सभार
10	देवेंद्र	लजा रामी	42	अनु0 जा0	कृषि	सभार

4. गांव का भौगोलिक विवरण

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	110 किमी
4.2	मेन रोड से दूरी	::	0200 मीटर की दूरी पर
4.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	अंन्टी/सरस्वती-नगर--14 किमी
4.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी		रोहड़ू, 34 किमी
4.5	मुख्य शहरों के नाम और दूरी		रोहड़ू, 34 किमी
4.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	हि0प्र0 वन विभाग और रोहड़ू और जुब्बल

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

5.1	उत्पाद का नाम	::	कृमि खाद
5.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	समूह इस गतिविधि को करने में रुचि रखता है। सेब की पट्टी होने के कारण वर्मी कम्पोस्ट की भारी मांग है। गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई है
5.3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	::	हां

6. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

चरण		विवरण
चरण-1	::	प्रसंस्करण जिसमें कचरे का संग्रह, कतरन, धातु का यांत्रिक पृथक्करण, कांच और चीनी मिट्टी की चीज़ें और जैविक कचरे का भंडारण शामिल है।
चरण-2	::	पशुओं के गोबर के घोल के साथ सामग्री को ढेर करके बीस दिनों के लिए जैविक कचरे का पूर्व पाचन। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से सामग्री को पचाती है और केंचुआ खपत के लिए उपयुक्त है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस के घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का उपयोग वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन में नहीं करना चाहिए।
चरण -3	::	केंचुआ बिस्तर तैयार करना। वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी कीड़े को मिट्टी में जाने देगी और पानी देते समय भी; सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण 4	::	वर्मी कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कंपोस्ट की गई सामग्री को अलग करने के लिए कंपोस्ट की गई सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट की गई सामग्री को फिर से वर्मी कम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण-5	::	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करना।

7. उत्पादन योजना का विवरण

7.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	90 दिन (वर्ष में तीन चक्र)
7.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (सं।)	::	1
7.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर और अपने खेतों से
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	खुला बाजार
7.5	कच्चा माल - आवश्यक मात्रा प्रति चक्र (किलो) प्रति सदस्य	::	1800 किलो प्रति चक्र
7.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलो) अपेक्षित उत्पादन	::	900 किलोग्राम प्रति चक्र

8. विपणन/बिक्री का विवरण

8.1	संभावित बाजार स्थान	::	हि0प्र0 वन विभाग

8.2	इकाई से दूरी	::	स्थानिय बाज़ार अपने खेत पर प्रयोग करें
8.3	बाजार में उत्पाद की मांग	::	प्रधान कार्यालय वन विभाग उनकी नर्सरी के लिए विशाल वर्मी-कम्पोस्ट खरीद रहा है और इलाके में बगीचों की भारी मांग होगी
8.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद की सुविधा भी प्रदान करेगा।
8.5	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति		एसएचजी सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्प तलाशेंगे।
8.6	उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस IGA को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
8.7	उत्पाद "नारा"		"प्रकृति के अनुकूल"

9. ताकत, कमजोरियां, अवसरों, खतरों का विश्लेषण (SWOT)

- **शक्ति**

- गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है
- एसएचजी के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक के मवेशी हैं
- एसएचजी सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य की फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक कचरे की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान करते हैं।
- उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चा माल
- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसान
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- उत्पाद का आत्म-जीवन लंबा

- **कमजोरी**

- विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ अवसर

- जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की बढ़ती मांग
- वर्मी कम्पोस्ट को अपने खेत में लगाने से मिट्टी की सेहत में सुधार और वृद्धि होगी और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का उत्पादन होगा जो बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।
- रसोई घर से बाहर रह गए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग
- हिमाचल प्रदेश वन के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना

❖ धमकी / जोखिम

- अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर

10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- **उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा**
- **गुणवत्ता आश्वासन - सामूहिक रूप से**
- **सफाई और पैकेजिंग - सामूहिक रूप से**
- **मार्केटिंग - सामूहिक रूप से**
- **इकाई की निगरानी - सामूहिक रूप से**

11. अर्थशास्त्र का विवरण

(राशि वास्तविक रु. में)

क्रमांक	विवरण	इकाइयां	मात्रा/ संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
ए	पूंजी लागत								
ए.1	**गड्ढे और शेड का निर्माण**								
1	निर्माण के साथ-साथ श्रम लागत (गड्ढे का आकार आंतरिक 10ftX4ftX2ft का होगा)	प्रति सदस्य	10	6000	60000	0	0	0	0
2	कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	10	4000	40000				
	उप-कुल (ए.1)				**100000**	**0**	**0**	**0**	**0**
ए.2	**यंत्रावली और उपकरण**								
3	औजार, उपकरण, वजन पैमाने आदि।	प्रति सदस्य	10	2000	20000	0	0	0	0
	उप-कुल (ए.2)				**20000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल पूंजीगत लागत (ए.1+ए.2)				**120000**	**0**	**0**	**0**	**0**
बी	**आवर्ती लागत**								
4	बीज केंचुआ	प्रति किलो	10	500	5000	0	0	0	0
5	गारा/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	60	900	54000	56700	59535	62512	65637
6	श्रम लागत	प्रति टन	30	700	21000	22050	23153	24310	25526
7	पैकिंग सामग्री	संख्या	4000	2	8000	8400	8820	9261	9724
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	30	150	4500	4725	4961	5209	5470
सी	**अन्य शुल्क**								
9	बीमा	L/S			0	0	0	0	0
10	ऋण पर ब्याज	प्रतिवर्ष		2 प्रतिशत	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				**95500**	**94875**	**99469**	**104292**	**109357**
	कुल लागत - पूंजी और आवर्ती				**215500**	**94875**	**99469**	**104292**	**109357**
डी	**वर्मी कम्पोस्टिंग से आय**								
11	**वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री**	टन	30	**6000**	**180000**	**189000**	**198450**	**208372**	**218791**
12	**केंचुआ की बिक्री**					**5000**	**10000**	**10000**	**10000**
13	**कुल राजस्व**				**180000**	**194000**	**208450**	**218372**	**228791**
14	शुद्ध रिटर्न (डी-सी)				84500	99125	108981	114080	119434

नोट - चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उनके स्थान पर पहले से उपलब्ध घोल / गोबर / अपशिष्ट और इन सामग्रियों की खरीद नहीं की जाएगी, इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, घोल / गोबर / अपशिष्ट की खरीद की लागत)) कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

12. आर्थिक विश्लेषण

विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	
पूंजी लागत	**120000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
आवर्ती लागत	95500	**94875**	**99469**	**104292**	**109357**	
कुल लागत	215500	**94875**	**99469**	**104292**	**109357**	623493
कुल लाभ	**180000**	**194000**	**208450**	**218372**	**228791**	1029613
शुद्ध लाभ	**-35500**	**99125**	**108981**	**114080**	**119434**	**406120**
लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**623493**					
लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**1029613**					
लाभ लागत अनुपात	**1.65**					

शुद्ध लाभ का वितरण - उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार।

13. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार एक गड्ढे के लिए 10X4X2 फीट की योजना बनाई गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3.2 प्रति किग्रा
- वर्मी कम्पोस्ट (रूढ़िवादी पक्ष) की बिक्री रु. 6 प्रति किलो
- शुद्ध लाभ रु. 2.8 प्रति किग्रा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष 2.7 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 15 सदस्यों द्वारा 40 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा।
- केंचुआ की कीमत रु. 500.00 प्रति किग्रा
- दूसरे वर्ष के दौरान, बिक्री के लिए अधिशेष केंचुआ होगा (क्योंकि यह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ़ जाएगा)
- वर्मी कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक IGA है और इसे लिया जा सकता है

14. निधि की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना का योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	120000	90,000	30,000
2	कुल आवर्ती लागत	95500	0	95500
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	**265500**	**140000**	**125000**

ध्यान दें-

- **पूंजीगत लागत - एससी और बीपीएल समूह होने के कारण परियोजना के तहत पूंजीगत लागत का** 75% **कवर किया जाएगा**
- **आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।**

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

15.निधि के स्रोत:

परियोजना का योगदान	• पूंजीगत लागत का 75% पिट और शेड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10ftX4ftX2ft होगा) • एसएचजी बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक जमा किए जाएंगे। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	गड्ढे/गड्ढे के निर्माण के लिए सामग्री की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद की जाएगी।
एसएचजी योगदान	• एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत का 25%, इसमें शेड/शेड के निर्माण की लागत शामिल है। • एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत	

16.बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और नकद ऋण सीमा के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूलधन का बैंकों को वर्ष में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।

- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।
  परियोजना सहायता- डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

17. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- परियोजना उन्मुखीकरण समूह गठन/पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आईजीए (सामान्य) का परिचय
- विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- राज्य और बाहरी राज्य के भीतर एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा

18.निगरानी तंत्र

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

समूह के सदस्यों की तस्वीर-